संख्या-16 /2017/269/22-4-17-48(7)/12

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 मार्च, 2017

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली में अस्पताल चक्र में 24 बेड के 04 नग हास्पिटल वार्ड के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6489/नम-2, दिनांक- 02 मार्च, 2017 के संदर्भ में एवं मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-174/22-4-2013-48(7)/12, दिनांक 21-02-2013 तथा पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-473/22-4-16-48(7)/12,दिनांक-03-10-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के माध्यम से विषयांकित निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत मूल/पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 39.22 लाख की व्यवस्था शासनादेश संख्या-218(1)/22-4-17-48(7)/12,दिनांक- 28 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, बरेली में अस्पताल चक्र में 24 बेड के 04 नग हास्पिटल वार्ड के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 39,22,000/-(रूपया उन्तालीस लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए कार्य दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 21-02-2013 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 03-10-2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य- 051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-16/2017/269(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बरेली।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in